न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या : 14/2021

दायर दिनांक : 03.03.2021

निर्णय दिनांक : 18.03.2025

—: अनवान :—

ग्राम पंचायत फरारा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) **— प्रार्थीगण/निगराकार**

बनाम

उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) **— गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 दिनांक 06/08/1995 को जारी पट्टा के विरुद्ध

उपस्थितः—

1— श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— गैर निगराकार अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरुद्ध दिनांक 06.08.1995 द्वारा जारी पट्टे के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत फरारा के ग्राम फरारा में आबादी भूमि आराजी संख्या 476 स्थित है। ग्राम पंचायत फरारा द्वारा दिनांक 06/08/1995 को विपक्षी के नाम निःशुल्क पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत फरारा के विरूद्ध सर्तकता प्रकरण अमर सिंह, निवासी फरारा द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 के सम्बन्ध में शिकायत कर जांच की मांग की गई, जिस पर पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा दिनांक 18/02/2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा का पट्टा ग्राम सभा में निरस्त की कार्यवाही के साथ श्रीमान् के यहां निगरानी पेश कर पट्टा निरस्त कराना आवश्यक था, जो नहीं किया गया, जबकि ग्राम पंचायत फरारा द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र को जारी उक्त पट्टा वाली आबादी भूमि गांव से दूर होने से तथा स्थानीय लोगों एवं विभाग द्वारा बस स्टॉप फरारा के पास चयनित स्थान पर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का दिनांक 14/10/1997 को प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित कर उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी को उक्त पट्टा जारी किया गया, उस समय उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत फरारा में आपति आने पर अन्यत्र जगह बस स्टॉप फरारा पर निर्मित हुआ था एवं ग्राम सभा दिनांक 14/10/1997 को प्रस्ताव संख्या 04 में ग्राम सभा ने दिनांक 06/08/1995 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जारी पट्टे को निरस्त कर अन्यत्र चयनित स्थान बस स्टॉप फरारा के पास स्थान नियत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 में विपक्षी को पूर्व में दिनांक 06/08/1995 को जो पट्टा जारी किया गया, वह स्थान गांव से दूर होने से लोगों एवं विपक्षी द्वारा आपत्ति करने पर नया स्थान बस स्टॉप फरारा के पास चयन कर विपक्षी का भवन निर्माण करने से उक्त जारी पट्टा दिनांक 06/08/1995 निरस्त योग्य हैं। विपक्षी द्वारा भी उक्त पट्टे की भूमि में निर्माण नहीं करने एवं ग्राम पंचायत से अन्यत्र गांव के बस स्टॉप फरारा पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा का नवीन जगह चयन कर निर्माण करने से उक्त पट्टा निरस्त योग्य हैं। दिनांक 25/09/2020 को पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा जारी सूचना–पत्र अनुसार निगरानी दायर करने का निर्देश दिया प्रदान किया गया है। दिनांक 25/09/2020 को पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा जारी सूचना–पत्र अनुसार निगरानी दायर करने का निर्देश प्रदान करने से वाद–हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा को जारी पट्टा दिनांक 06/08/1995 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत फरारा के ग्राम फरारा में आबादी भूमि आराजी संख्या 476 स्थित है। ग्राम पंचायत फरारा द्वारा दिनांक 06/08/1995 को विपक्षी के नाम निःशुल्क पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत फरारा के विरूद्ध सर्तकता प्रकरण अमर सिंह, निवासी फरारा द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 के सम्बन्ध में शिकायत कर जांच की मांग की गई, जिस पर पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा दिनांक 18/02/2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा का पट्टा ग्राम सभा में निरस्त की कार्यवाही के साथ श्रीमान् के यहां निगरानी पेश कर पट्टा निरस्त कराना आवश्यक था, जो नहीं किया गया, जबकि ग्राम पंचायत फरारा द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र को जारी उक्त पट्टा वाली आबादी भूमि गांव से दूर होने से तथा स्थानीय लोगों एवं विभाग द्वारा बस स्टॉप फरारा के पास चयनित स्थान पर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का दिनांक 14/10/1997 को प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित कर उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी को उक्त पट्टा जारी किया गया, उस समय उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत फरारा में आपति आने पर अन्यत्र जगह बस स्टॉप फरारा पर निर्मित हुआ था एवं ग्राम सभा दिनांक 14/10/1997 को प्रस्ताव संख्या 04 में ग्राम सभा ने दिनांक 06/08/1995 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम जारी पट्टे को निरस्त कर अन्यत्र चयनित स्थान बस स्टॉप फरारा के पास स्थान नियत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाना आया हैं। विपक्षी द्वारा भी उक्त पट्टे की भूमि में निर्माण नहीं करने एवं ग्राम पंचायत से अन्यत्र गांव के बस स्टॉप फरारा पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा का नवीन जगह चयन कर निर्माण करने से उक्त पट्टा निरस्त योग्य हैं। दिनांक 25/09/2020 को पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा जारी सूचना–पत्र अनुसार निगरानी दायर करने का निर्देश दिया प्रदान किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा को जारी पट्टा दिनांक 06/08/1995 को निरस्त फरमाया जावे ।

मैंने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारणीय प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत फरारा द्वारा विपक्षी उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा के पक्ष में दिनांक 06.08.1995 को जारी पट्टे

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विरूद्ध निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की, कि विपक्षी उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण नहीं किया गया जिससे ग्राम सभा दिनांक 14.10.1997 को प्रस्ताव संख्या 04 से उक्त पट्टा निरस्त किया जाकर अन्यत्र जगह बस स्टॉप फरारा पर उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया। अतः विपक्षी के पक्ष में दिनांक 06.08.1995 को जारी पट्टा निरस्त योग्य है।

उक्त क्रम में पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत फरारा द्वारा विपक्षी विपक्षी उप स्वास्थ्य केन्द्र, फरारा के पक्ष में दिनांक 06.08.1995 को आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत फरारा से उक्त पट्टा पत्रावली तलब करने पर ग्राम पंचायत फरारा द्वारा पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि उक्त पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। निगराकार द्वारा निगरानी याचिका में यह वर्णित किया गया कि "विपक्षी उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण नहीं किया गया जिससे ग्राम सभा दिनांक 14.10.1997 को प्रस्ताव संख्या 04 से उक्त पट्टा निरस्त किया जाकर अन्यत्र जगह बस स्टॉप फरारा पर उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया। पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा उक्त पट्टे को ग्राम सभा में निरस्त नहीं मान कर पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा 25.09.2020 को सूचना पत्र जारी कर निगरानी दायर करने के निर्देश प्रदान किये गये।" परन्तु उक्त तथ्यों के संबंध में निगराकार द्वारा किसी प्रकार का प्रमाणित दस्तावेज/प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विपक्षी उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के पक्ष में जारी पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बताया गया पट्टा पत्रावली के अभाव में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने में नियमानुसार प्रक्रिया की पालना की गयी अथवा नहीं। निगराकार द्वारा निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे भी निगराकार अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यो/बिन्दुओं को सिद्ध करने में असफल रहा अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका इस निर्देश के साथ खारिज करना उचित प्रतीत होता है कि निगराकार समुचित दस्तावेज के साथ पुनः न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। निगराकार समुचित दस्तावेज के साथ पुनः न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

18/3/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)